

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024—भाद्र 15, शक 1946

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरे पुत्र का पूर्व में नाम अभिभाव चौहान, (Abhibhav Chouhan) था. जिसे नाम परिवर्तन कर वर्तमान में मेरे पुत्र डेनी चौहान, (Danny Chouhan), निवासी -21, मालवीय मोहल्ला, मूसाखेडी, जिला इन्दौर म.प्र. के नाम से जाना, पहचाना व पुकारा, लिखा पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(नितिन चौहान)

(Nitin Chouhan)

(G-1876)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा सही नाम कमलेश कुशवाह (Kamlesh Kushwah) पत्नी पातीराम है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड आदि दस्तावेजों में दर्ज है, जबकि मेरी पॉलिसी में मेरा पूर्व नाम मुन्नी देवी कुशवाह (Munni Devi Kushwaha) पत्नी पातीराम कुशवाह (Patiram Kushwaha) दर्ज है, जबकि मेरे वोटर कार्ड में मुन्नीदेवी पत्नी पातीराम दर्ज है. मुन्नीदेवी/मुन्नी देवी/ मुन्नी देवी कुशवाह/ कमलेश/ कमलेश कुशवाह मुझ एक ही महिला के नाम हैं. अतः भविष्य

में मुझे कमलेश कुशवाह (Kamlesh Kushwah) पत्नी पातीराम के नाम से ही जाना पहचाना जावे एवं मेरे समस्त दस्तावेजों में दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

नया नाम

(मुन्नीदेवी/मुन्नी देवी/मुन्नी देवी कुशवाह/कमलेश)

(कमलेश कुशवाह)

(Kamlesh Kushwah)

पत्नी पातीराम कुशवाह (Patiram Kushwah)
निवासी—नाकाचन्द्रवदनी लशकर, ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1877)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुन्नालाल घाघरे (Munnalal Ghaghre) आत्मज श्री फागु घाघरे निवासी – ताप्ती वार्ड नं. 01, गौशाला, मुलताई, जिला बैतूल, म.प्र. मेरे आधार कार्ड एवं पेन कार्ड में मेरा नाम भिवजी घाघरे (Bhivji Ghaghre) अंकित है एवं मेरे बच्चों की शैक्षणिक दस्तावेज एवं परिवार समग्र आई.डी., वोटर कार्ड इत्यादि में मेरा नाम मुन्नालाल घाघरे (Munnalal Ghaghre) अंकित है. उपरोक्त दोनों नाम मेरे स्वयं के अर्थात एक ही व्यक्ति के नाम हैं जो कि मैं स्वयं हूँ. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे परिवर्तित नाम मुन्नालाल घाघरे (Munnalal Ghaghre) पुत्र श्री फागु घाघरे के नाम से ही जाना पहचाना, पढ़ा, समझा, सुना, बोला एवं पुकारा जाए.

पुराना नाम

नया नाम

(भिवजी घाघरे)

(मुन्नालाल घाघरे)

(Bhivji Ghaghre)

(Munnalal Ghaghre)

(G-1878)

पुत्र श्री फागु घाघरे.

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रियंका त्यागी (Priyanka Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी, निवासी – लसुडिया परिहार पोस्ट पचामा, जिला सीहोर, म.प्र. मेरे आधार कार्ड में मेरा नाम नेहा त्यागी (Neha Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी अंकित है, मेरी मार्कशिट में मेरा नाम प्रियंका शर्मा (Priyanka Sharma) पुत्री श्री बट्टी प्रसाद शर्मा अंकित है जो कि मेरे विवाह पूर्व का नाम है. मेरे वोटर कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार मेरा नाम प्रियंका त्यागी (Priyanka Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी है. प्रकाशन उपरांत मुझे मेरे परिवर्तित नाम प्रियंका त्यागी (Priyanka Tyagi) पत्नी श्री रीतेश कुमार त्यागी के नाम से ही जाना-पहचाना, पढ़ा, सुना, समझा एवं पुकारा जाये.

पुराना नाम

नया नाम

(नेहा त्यागी)

(प्रियंका त्यागी)

(Neha Tyagi)

(Priyanka Tyagi)

(G-1879)

पत्नी—श्री रीतेश कुमार त्यागी.

नाम परिवर्तन

सर्व सम्बंधित को सूचित किया जाता है कि मैं, महेन्द्र सिंह, मेरे समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, पेन कार्ड, में मेरा नाम महेन्द्र सिंह यादव है. दस्तावेजों में मेरा नाम महेन्द्र सिंह है, मैं, अपने नाम के साथ सरनेम यादव जोड़कर प्रकाशन उपरांत महेन्द्र सिंह यादव (MAHENDRA SINGH YADAV) के नाम से जाना एवं पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम

नया नाम

(महेन्द्र सिंह)

(महेन्द्र सिंह यादव)

(G-1880)

पता—वृंदावनधाम, गांधी वार्ड, बीना स्टेशन,
बीना, जिला सागर.

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स भावना मिनरल्स, वार्ड नं. 03, स्टेडियम के सामने, सिहोरा, जिला जबलपुर, मध्यप्रदेश की भागीदारी का गठन दिनांक 8 अप्रैल 2013 को भागीदार (1) श्री वीरेन्द्र कुमार मेहता वल्द स्व. श्री चरणदास ज्ञानचंद मेहता (2) श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी श्री हरी प्रकाश गुप्ता (3) श्रीमती सरिता सरावगी पत्नी श्री सुनील सरावगी के द्वारा गठन किया गया फर्म का रजिस्ट्रेशन दिनांक 19 फरवरी 2020 को फर्म के रजिस्ट्रार जबलपुर में मेसर्स भावना मिनरल्स रजिस्ट्रेशन क्रमांक 04/14/02/0251/20 सन् 2019-2020 में हो गया तदुपरांत दिनांक 21 मार्च 2024 को श्रीमती सरिता सरावगी पत्नी श्री सुनील सरावगी भागीदारी फर्म से विलग हो गई तथा फर्म का पुनः गठन दो नये भागीदार श्री मुकुल खम्परिया पिता श्री नित्यनिरंजन खम्परिया एवं श्रीमती स्वाती खम्परिया पत्नी श्री मुकुल खम्परिया के साथ पुनः गठन हो गया तदुपरांत दिनांक 1 अप्रैल 2024 को श्री वीरेन्द्र कुमार मेहता वल्द स्व. श्री चरणदास ज्ञानचंद मेहता एवं श्रीमती सुधा गुप्ता पत्नी श्री हरी प्रकाश गुप्ता फर्म से विलग हो गये तथा फर्म में श्री मुकुल खम्परिया एवं श्रीमती स्वाती खम्परिया भागीदार के रूप में रह गये.

मेसर्स भावना मिनरल्स
मुकुल खम्परिया
(भागीदार)

(G-1881)

PUBLIC NOTICE**(U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT 1932)**

Notice is hereby given that in the Partnership Firm M/S. Trisha Enterprises Registered office at 45 CB IDA Sch. No. 140, Pipliyahana Square opp IDA Water Tank, Indore (M.P.) and Registration No. is 03/27/01/0030/22, dated 10-5-2022, which was constituted vide Partnership deed executed on 1-3-2022.

In this Partnership firm subssequently following changes have occurred on 1-8-2022, Rinki Agrawal D/o. Shri Girdhari Rameshwar Garg have voluntarily retired from the Partnership firm and Shri Animesh Agrawal S/o Shri Tilok Chand Agrawal has joined the firm as a new partner.

Now all the running Partners have decided to change the principle place of firm from 45 CB IDA Sch. No. 140, Pipliyahana Square opp IDA Water Tank, Indore (M.P.) To Flat No. D-804, 8th Floor, High Rise Building, Anandvan Phase-2, Sch. No. 140, Indore (M.P.) W.e.f. 1-07-2023.

M/S. Trisha Enterprises

Ravi Kumar Garg
(Partner)

(G-1882)

CHANGE OF SURNAME

I hereby declare that, my correct surname is Dilip Gupta which is also written in most of my documents but in some of my documents (share certificate) my surname written Dilip Seth. Henceforth forever my surname shall be written and read as a Dilip Gupta.

Old Name
(Dilip Seth)

(G-1883)

New Name
(Dilip Gupta)
Ashok Nagar (M.P.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारा सही उपनाम मोहनलाल गुप्ता पिता श्री रामनारायण गुप्ता है, किन्तु हमारे कुछ पुराने दस्तावेजों में हमारा उपनाम मोहनलाल खण्डेलवाल पिता श्री रामनारायण खण्डेलवाल लिखा हुआ है. अतः हमारे जिस भी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में हमारा उपनाम खण्डेलवाल लिखा हुआ है, उन सभी दस्तावेजों में हमारा सही उपनाम मोहनलाल गुप्ता पिता श्री रामनारायण गुप्ता ही लिखा व पढ़ा जाए

पुराना नाम
(मोहनलाल खण्डेलवाल)

(G-1884)

नया नाम
(मोहनलाल गुप्ता)
पिता श्री रामनारायण गुप्ता
बस स्टैंड, गंधवानी धार (म.प्र.).

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर नेशनल स्कूल आर्मी तिराहा के पास, बड़ा गांव, मुरार ग्वालियर (म.प्र.) 474006 स्थित है. जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/0083/23, दिनांक 31 जुलाई 2023 है. जिसमें दिनांक 14 दिसंबर 2022 को भागीदार श्री चन्द्र प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री लक्ष्मण प्रसाद शर्मा, नि. 43, पी.जी. इन्कलावे नजदीक, सिल्वेर ओक होटल, सिटी सेंटर, ग्वालियर स्वेच्छा से पृथक हो रहे हैं. एवं 1. भागीदार श्री सुरेश सिंह यादव पुत्र स्व. श्री भगवान सिंह यादव, नि. श्री कृष्णा कुंज, संत साई स्कूल, एम. एच. चौराहा, मुरार, ग्वालियर, 2. श्रीमती रीना यादव पत्नी श्री दीपक यादव, नि. वार्ड नं. 61, ग्राम बड़ागांव, ग्वालियर भागीदार स्वेच्छा से फर्म में सम्मिलित हो रहे हैं.

मेसर्स गुरु कृपा स्टोन क्रेशर
सुनील यादव
(भागीदार)
नेशनल स्कूल आर्मी तिराहा के पास,
बड़ा गांव, मुरार ग्वालियर (म.प्र.).

(G-1885)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म में तिरुपति एसोसियेट्स (M/S TIRUPATI ASSOCIATES) के नाम से एक भागीदारी फर्म है जिसका पंजीयन क्र. 04/17/01/00442/12 दिनांक 3 मार्च 2012 है.

इस फर्म से दिनांक 31 अगस्त 2024 से एक भागीदार (1) श्रीमती उमा मिगलानी पति श्री बलदेव मिलगानी निवासी न्यू एक्वेशन एरिया नवभारत प्रेस के पास गांधी गंज छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) निकल रहे है एवं उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1 सितम्बर 2024 से तीन भागीदार (1) श्री आदित्य नाहर पिता श्री अशोक कुमार नाहर निवासी वार्ड नं. 04 डॉ. नवीन कुमार शर्मा के घर पर प्रोफेसर कॉलोनी ट्राइबल म्यूजियम के सामने छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (2) श्रीमती सृष्टि मिगलानी पति श्री शोभित मिगलानी निवासी श्रीराम विला सिग्नेचर लाईफस्टाइल ऑक्सी जिम के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) (3) श्रीमती मेधा मिगलानी पति श्री सुनील मिगलानी निवासी श्रीराम विला सिग्नेचर लाईफस्टाइल ऑक्सी जिम के पास छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) शामिल हो रहे हैं. अतः उक्त भागीदारी फर्म में दिनांक 1 सितम्बर 2024 से संशोधन उपरांत पाँच साझेदार रहेंगे. उक्त फर्म का रजिस्टर्ड ऑफिस 20 पदम कॉम्प्लेक्स सिवनी रोड़ छिन्दवाड़ा तह. एवं जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.) स्थित है.

M/s. Tirupati Associates
शोभित मिगलानी
(पार्टनर).

(G-1886)

नाम परिवर्तन

मैं, ध्रुव गुर्जर (DHRUV GURJAR) पुत्र लक्ष्मी नारायण गुर्जर सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व का नाम चेतन गुर्जर (CHETAN GURJAR) था जो मेरे पॉलिसी में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं ध्रुव गुर्जर पुत्र लक्ष्मी नारायण गुर्जर के नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता हूँ, जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है, चेतन गुर्जर एवं ध्रुव गुर्जर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरी पॉलिसी में मेरा नाम चेतन गुर्जर के स्थान पर मेरा नाम ध्रुव गुर्जर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(चेतन गुर्जर)

(G-1887)

नया नाम

(ध्रुव गुर्जर)

पुत्र लक्ष्मी नारायण गुर्जर

पता-शिवहरे कॉलोनी, मीरा नगर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, कलावती (KALAVATEE) पत्नी सुन्दर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा पूर्व का नाम कविता कुशवाह (KAVITA KUSHWAH) था जो मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. जबकि वर्तमान में मैं कलावती पत्नी सुन्दर के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, जो मेरे वोटरकार्ड एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है. कलावती एवं कविता कुशवाह दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम कविता कुशवाह के स्थान पर मेरा नाम कलावती लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(कविता कुशवाह)

(G-1888)

नया नाम

(कलावती)

पत्नी सुन्दर

पता-109, एम.एल.बी. रोड, ग्वालियर (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

मैं, मृणाल मिलिंद केतकर (MRUNAL MILIND KETKAR) पत्नी स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर सर्वसाधारण को सूचित करती हूँ कि मेरा विवाह पूर्व का नाम संध्या (SANDHYA) था जो मेरे पति स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर के सर्विस दस्तावेजों में मेरा नाम संध्या केतकर लिखा गया है. जबकि विवाह उपरांत मेरा नाम मृणाल मिलिंद केतकर पत्नी स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर हो जाने से वर्तमान में मैं मृणाल मिलिंद केतकर के नाम से जानी पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ, मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, एवं अन्य प्रपत्रों में लिखा गया है संध्या केतकर एवं मृणाल मिलिंद केतकर दोनों मेरे ही नाम हैं. अतः मेरे पति स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर के सर्विस दस्तावेजों में मेरा नाम संध्या केतकर के स्थान पर मेरा नाम मृणाल मिलिंद केतकर लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(संध्या केतकर)

(G-1889)

नया नाम

(मृणाल मिलिंद केतकर)

पत्नी स्व. श्री मिलिंद मुकंद केतकर

पता-फ्लेट नं. 204, सेकेंड फ्लोर, नवेगांव, बालाघाट (म.प्र.).

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे विवाह के पूर्व मेरे समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम बाली बारपेटे अंकित था. मेरा विवाह श्री नारायण बारपेटे से होने के पश्चात् मेरा नाम उर्मिला बारपेटे हो गया है. प्रकाशन उपरांत भविष्य में मुझे मेरे सभी शासकीय/अशासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम उर्मिला बारपेटे लिखा-पढ़ा एवं दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(बाली बारपेटे)

नया नाम
(उर्मिला बारपेटे)
पत्नी-श्री नारायण बारपेटे,
निवासी-जूना पानी, तह. मुलताई,
जिला बैतूल (म.प्र.).

(G-1890)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा विवाह से पूर्व का नाम विमलेश कुशवाह पुत्री श्री नरहरी सिंह कुशवाह था. मेरा विवाह श्री उम्मेद सिंह तोमर पुत्र श्री नाथू सिंह तोमर के साथ होने से मेरा वर्तमान में नाम श्रीमती विमलेश तोमर पत्नी स्व. उम्मेद सिंह तोमर हो गया है. प्रकाशन उपरांत, मुझे श्रीमती विमलेश तोमर पत्नी स्व. श्री उम्मेद सिंह तोमर के नाम से जाना व पहचाना, लिखा-पढ़ा, दर्ज किया जावे.

पुराना नाम
(विमलेश कुशवाह)

नया नाम
(विमलेश तोमर)
पत्नी-स्व. श्री उम्मेद सिंह तोमर.

(G-1891)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, लक्ष्मण आहूजा पुत्र गोइन्दमल आहूजा, निवासी-कमल टॉकिज रोड, डबरा (म.प्र.). मेरी पुत्री के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम रतना आहूजा हो गया है, जबकि उसके शैक्षणिक दस्तावेज पर सही नाम राशि आहूजा (RASHIAHUJA) अंकित है, प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्री के समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में सही नाम राशि आहूजा (RASHIAHUJA) पिता लक्ष्मण आहूजा के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

प्रार्थी

(लक्ष्मण आहूजा)
पुत्र-गोइन्दमल आहूजा.

(G-1892)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रमेश कुमार पटैल एवं पिता का नाम श्री श्याम लाल पटैल अंकित है एवं मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम रमेश कुमार पटेल एवं पिता का नाम श्री श्याम लाल पटेल दर्ज है. ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रमेश कुमार पटैल के स्थान पर रमेश कुमार पटेल (RAMESH KUMAR PATEL) एवं पिता का नाम श्री श्याम लाल पटैल के स्थान पर श्री श्याम लाल पटेल (SHYAM LAL PATEL) के नाम से जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रमेश कुमार पटैल)

नया नाम
(रमेश कुमार पटेल)
पिता का नया नाम - श्री श्याम लाल पटेल
पता - क्वार्टर नंबर 10/1, 60 क्वार्टर,
6वीं बटालियन, एस.ए.एफ. रांझी तह.व. जिला जबलपुर.

(G-1893)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, गेंदा लाल (GENDA LAL) आत्मज श्री रूपा लाल उरैती (RUPA LAL UREATI) ग्राम अमटेरा पो. बिलगांव थाना व तहसील शहपुरा जिला डिण्डौरी (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड, शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम गेंदा लाल उरैती (GENDA LAL UREATI) आत्मज श्री रूपा लाल उरैती (RUPA LAL UREATI) दर्ज है, एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम गेंदा लाल (GENDA LAL) आत्मज श्री रूपा लाल उरैती (RUPA LAL UREATI) दर्ज है. ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम गेंदा लाल (GENDA LAL) के स्थान पर गेंदा लाल उरैती (GENDA LAL UREATI) आत्मज स्व. श्री रूपा लाल उरैती (RUPA LAL UREATI) जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(गेंदालाल)
(GENDA LAL)
(G-1894)

नया नाम
(गेंदा लाल उरैती)
(GENDA LAL UREATI)
आत्मज-स्व. श्री रूपा लाल उरैती
(RUPA LAL UREATI)

नाम परिवर्तन

आम जनता को सूचित किया जाता है कि मैं, रामचरण लोध (RAMCHARAN LODH) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) ग्राम-कोठी टोला, पो.-दिया, तहसील पन्ना, जिला-पन्ना (म.प्र.). मेरे आधार कार्ड, पेन कार्ड शैक्षणिक एवं शासकीय दस्तावेजों में मेरा नाम रामचरण लोधी (RAMCHARAN LODHI) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) दर्ज है, एवं मेरे सर्विस रिकार्ड में मेरा नाम रामचरण लोध (RAMCHARAN LODH) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) दर्ज है. ये दोनों नाम मेरे स्वयं के हैं. अतः मेरे सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं अन्य प्रपत्रों में मेरा नाम रामचरण लोध (RAMCHARAN LODH) के स्थान पर रामचरण लोधी (RAMCHARAN LODHI) आत्मज श्री जीवन लाल लोधी (JEEVAN LAL LODHI) जाना-पहचाना, लिखा-पढ़ा जावे.

पुराना नाम
(रामचरण लोध)
(RAMCHARAN LODH)
(G-1895)

नया नाम
(रामचरण लोधी)
(RAMCHARAN LODHI)
आत्मज-श्री जीवन लाल लोधी
(JEEVAN LAL LODHI)

नाम परिवर्तन

मैं, महन्त विजय रामदास चेला श्री राघवदास, निवासी-38-3, ग्राम मेहगवांकला, पोस्ट सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन (म.प्र.). वर्तमान में मेरे आधार कार्ड एवं अन्य दस्तावेजों में मेरा नाम "विजय कुमार पलिया" अंकित हो गया है जबकि उसका सही व वास्तविक एवं प्रचलित नाम "महंत विजयरामदास (MAHANT VIJAYRAMDAS) चेला राघवदास" है. प्रकाशन उपरांत मेरे पूर्व के नाम विजय कुमार पलिया के स्थान पर प्रचलित नाम "महंत विजयरामदास (MAHANT VIJAYRAMDAS) चेला राघवदास" अंकित कर उक्त नाम से ही जाना एवं पहचान की जावे.

पुराना नाम
(विजय कुमार पलिया)
(G-1896)

नया नाम
"महंत विजयरामदास (MAHANT VIJAYRAMDAS)
चेला राघवदास".

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, भगवानदास प्रजापति पुत्र श्री रामकिशुन प्रजापति, निवासी-म.नं. 09, आजाद वार्ड, गढ़ाकोटा, जिला सागर, मध्यप्रदेश मेरे पुत्र के आधार कार्ड में त्रुटिवश उसका नाम अभय प्रजापति (ABHAY PRAJAPATI) दर्ज हो गया है जो कि गलत है जबकि मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेज और जन्म प्रमाण-पत्र पर उसका सही नाम देवेन्द्र प्रजापति (DEVENDRA PRAJAPATI) पुत्र श्री भगवानदास प्रजापति लिखा हुआ है जो कि सही है. अतः भविष्य में मेरे पुत्र के सभी शासकीय/अर्द्धशासकीय एवं समस्त दस्तावेजों में देवेन्द्र प्रजापति (DEVENDRA PRAJAPATI) पुत्र श्री भगवानदास प्रजापति के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा जावे.

आवेदक

(G-1897)

(भगवानदास प्रजापति).

नाम परिवर्तन

मैं, अब्दुल राशिद खान पिता स्व. अब्दुल जाहिद खान, निवासी मं.नं. 2369, आनंद नगर, सरफाबाद कुरैशी कंपाउंड के सामने अद्वारताल, जबलपुर मध्यप्रदेश सर्वसाधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी पुत्री का पूर्व में नाम निदा खानम खान था एवं उसकी माता का नाम मेहरून निसा खान था जो कि गलत है. मेरी पुत्री का सही नाम निदा खानम एवं उसकी माँ का नाम मेहरूननिसा है. प्रकाशन उपरांत मेरी पुत्री को निदा खानम के नाम से जाना व पहचाना जावे.

आवेदक

(G-1898)

(अब्दुल राशिद खान)
पिता-स्व. अब्दुल जाहिद खान.

नाम परिवर्तन

मैं, कन्हैया लाल नामदेव, मेरे पुत्र सक्षम नामदेव के शैक्षणिक दस्तावेजों में KANHIALAL NAMDEO त्रुटिवश अंकित हो गया है, जिसे सुधारकर अंग्रेजी में KANHAIYALAL NAMDEO लिखा-पढ़ा व संबोधित किया जाये.

आवेदक

(G-1899)

(कन्हैया लाल नामदेव)
(KANHAIYALAL NAMDEO).

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to public that our Partnership Firm **M/s. GANGA ASSOCIATES** having Firm Registration No. 07/38/01/0030/19 and Registered Office at 23, Palsikar Colony, Laal Sai Apartment, Indore-452007 registered with the Registrar of Firms, Indore (M.P.) has undergone the following changes -

1. Dr. Harish Manglani (Partner) and Mr. Vivek Manglani (Partner) have retired from the Partnership Firm with effect from the closing business hours of 31st March, 2024 and the remaining Partners namely Mr. Vinod Hassanandani, Mr. Harsh Hassanandani, Mr. Pavel Rajani and Mr. Palash Rajani will continue as the Partners of the Partnership Firm.

M/s. Ganga Associates
(Vinod Hassanandani)
(Partner).

(G-1900)

आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स डिवाइन इन्टरप्राइजेस तिली हास्पिटल के पीछे गुलाब कॉलोनी शिवाजी नगर वार्ड, सागर तहसील व जिला सागर (म.प्र.) पंजीयन क्रमांक 06/09/01/0081/20 सन् 2020-2021 दिनांक 27-10-2020 पर पंजीकृत है. फर्म में पंजीयन के समय दिनांक 19-10-2019 को नमन श्रीवास्तव व श्रीमती वर्षा विश्वकर्मा भागीदार थे. उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन दिनांक 1-7-2024 को नीरज कुमार श्रीवास्तव व अमन श्रीवास्तव को फर्म के भागीदारी में सम्मिलित किया गया. वर्तमान में फर्म में नमन श्रीवास्तव, श्रीमती वर्षा विश्वकर्मा, नीरज कुमार श्रीवास्तव व अमन श्रीवास्तव भागीदार है. फर्म के भागीदारों के मध्यम कोई भी लेनदारी व देनदारी शेष नहीं है. सर्व साधारण को सूचित किया जाता है.

फर्म मेसर्स डिवाइन इन्टरप्राइजेस

प्रार्थी

नमन श्रीवास्तव

(पार्टनर)

तिली हॉस्पिटल के पीछे, गुलाब कॉलोनी, शिवाजी नगर वार्ड,
सागर, तहसील व जिला सागर (म.प्र.).

(G-1901)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व के शैक्षणिक तथा अन्य दस्तावेजों में नाम आंचल खटवानी पिता हरीश खटवानी अंकित है, मेरी शादी श्री हर्ष मतलानी से हो गई है, अब, मैं, श्रीमती रुही मतलानी, पत्नी श्री हर्ष मतलानी, निवासी- "श्री शीला" डी-100, एन.आर. स्टेट, बिचौली हप्पी, इंदौर (म.प्र.) के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी एवं भविष्य में मेरे सभी शासकीय दस्तावेजों आदि में परिवर्तित नाम श्रीमती रुही मतलानी (SMT. RUHI MATLANI) लिखा व पढ़ा जावे.

पुराना नाम

(आंचल खटवानी)

पुत्री हरीश खटवानी

(G-1902)

नया नाम

(रुही मतलानी)

पत्नी श्री हर्ष मतलानी

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) निवासी-अजीत विलास, झाबुआ फार्म, खण्डवा रोड, लिम्बोदी, इन्दौर. मेरे आधार कार्ड, ड्रायविंग लायसेंस, पासपोर्ट पर मेरा नाम नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) दर्ज है एवं मेरा नाम पेनकार्ड पर मेरा नाम नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) पिता राजा अजीत सिंह (RAJA AJIT SINGH) दर्ज/अंकित है. उपरोक्तानुसार नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) एवं नरेन्द्र सिंह (NARENDRA SINGH) पिता राजा अजीत सिंह (RAJA AJIT SINGH) दोनों ही नाम मेरे होकर एक ही पुरुष के नाम हैं. प्रकाशन उपरांत मुझे नरेन्द्र सिंह झाबुआ (NARENDRA SINGH JHABUA) पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA) के नाम से जाना व पहचाना जावे.

प्रार्थी

(नरेन्द्र सिंह झाबुआ) (NARENDRA SINGH JHABUA)

पिता अजीत सिंह झाबुआ (AJIT SINGH JHABUA)

(G-1903)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती शशि वाधवा उर्फ भावना महेश वाधवा पत्नी श्री महेश वाधवा (एम. के. वाधवा), पुत्री स्व. श्री सुन्दर दास राजदेव. मेरा विवाह के पूर्व का नाम कुमारी शशि राजदेव पुत्री स्व. श्री सुन्दर दास राजदेव है जो कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में दर्ज है. मेरा विवाह श्री महेश वाधवा पुत्र श्री पेशुराम वाधवा, निवासी—मकान नम्बर 228, कल्पना नगर, भोपाल (म.प्र.) से हो जाने से विवाह उपरांत मुझे शशि वाधवा उर्फ भावना महेश वाधवा से जाना—पहचाना जाता है. श्रीमती शशि वाधवा उर्फ भावना महेश वाधवा दोनों नाम मेरे ही हैं. प्रकाशन उपरांत श्रीमती शशि वाधवा पत्नी श्री महेश वाधवा (एम. के. वाधवा) के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी.

प्रार्थी**(श्रीमती शशि वाधवा)**

पति श्री महेश वाधवा (एम.के. वाधवा).

(G-1904)

CHANGE OF NAME

I Nitin Jain hereby declare in behalf of my son that, I have changed my Son's Name from Kalp Jain to Anay Jain. Henceforth in all of Govt. and non Govt. documents my Son's new Name will written and read Anay Jain.

Applicant**(ANAY JAIN)**

S/o. NITIN JAIN-Father

(G-1905)

33, Dadabhai Noroji Marg, Ujjain (M.P.).

CHANGE OF NAME

I hereby declare that, my correct name is Hitesh Kumar Mehta which is also written in most of my documents but in some of my old documents my name and surname written Hitesh Jain. So now I want to correct or change it, So Henceforth my name shall be written and read as a Hitesh Kumar Mehta.

Old Name**(Hitesh Jain)****New Name****(Hitesh Kumar Mehta)**

16/10, Tongya Compound,

Race course Road, Indore (M.P.).

(G-1906)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम राजेश कुमार वाधवानी पिता बशनदास वाधवानी था जो मेरे पहचान पत्र एवं शैक्षणिक दस्तावेज में दर्ज था. वर्तमान में मैंने अपना नाम परिवर्तन कर सखी दिना मल पिता बशन दास वाधवानी (SAKHI DINA MAL S/o. BASHAN DAS WADHWANI) कर लिया है जो कि मेरे आधार कार्ड में अंकित है तथा भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम**(राजेश कुमार वाधवानी)**

पिता बशनदास वाधवानी

(G-1907)

नया नाम**(सखी दिना मल)**

पिता बशनदास वाधवानी

फ्लेट नं. 101, देव आशीप अपार्टमेंट,
76-बी, प्रेम नगर, इन्दौर (म.प्र.).

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, प्रदीप कुमार शर्मा, निवासी-5 यमुना नगर, दर्पण कालोनी, थाटीपुर, ग्वालियर (म.प्र.). मेरे पुत्र के शैक्षणिक दस्तावेजों में उसका नाम अमन पुरोहित पिता प्रदीप पुरोहित एवं माता नीतू पुरोहित अंकित है जो कि गलत है जबकि उसके जन्म प्रमाण-पत्र एवं आधार कार्ड में उसका नाम अमन शर्मा (Aman Sharma) पिता प्रदीप कुमार शर्मा (Pradeep Kumar Sharma) एवं माता का नाम नीतू शर्मा (Nitu Sharma) अंकित है जो कि सही एवं सत्य है. अतः, प्रकाशन उपरांत मेरे पुत्र को उसके सही नाम अमन शर्मा (Aman Sharma) पिता प्रदीप कुमार शर्मा (Pradeep Kumar Sharma) एवं माता का नाम नीतू शर्मा (Nitu Sharma) के नाम से जाना-पहचाना व लिखा-पढ़ा दर्ज किया जावे.

प्रार्थी

(प्रदीप कुमार शर्मा).

(G-1908)

PUBLIC NOTICE**(U/s. 72 OF THE INDIAN PARTNERSHIP ACT, 1932)**

Notice is hereby given that in the Firm "JVK ENTERPRISES" of Bhopal vide Registration No. 01/01/01/0438/16 year 2015-2016, dated 24-2-2016. undergone the following changes :-

That both partners of "JVK ENTERPRISES" have been mutually agreed that the firm should be dissolved w.e.f. 30-8-2024.

M/s. JVK ENTERPRISES

Vaibhav Dubey

(Partner).

(G-1909)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम जयंती लुणावत (Jayanti Lunawat) था, जो कि अब परिवर्तित कर जयंती लाल लुणावत (Jayanti Lal Lunawat) कर लिया गया है. अतः, भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(जयंती लुणावत)

नया नाम

(जयंती लाल लुणावत)

पिता भेरूलाल लुणावत

पता-53, सुभाष मार्ग, रतलाम.

(G-1910)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम चंदाबाई चोरडिया (Chandabai Chordia) था, जो कि अब परिवर्तित कर चंद्रप्रभा चोरडिया (Chandraprabha Chordia) कर लिया गया है. अतः, भविष्य में मुझे इसी नाम से ही जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

(चंदाबाई चोरडिया)

नया नाम

(चंद्रप्रभा चोरडिया)

पिता-126, चांदनीचौक, रतलाम

(G-1911)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय, पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, उपखण्ड-बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश
बुरहानपुर, दिनांक 5 अगस्त 2024

प्ररूप - 4

[नियम 5 (1) देखिए]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत)

क्र. क-लो.न्या.-2024-1998-प्र.क्र.-बी-113-2024-25.- एतद्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यास के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष आवेदक/अध्यक्ष श्री एकनाथ विठठल मंदिर ट्रस्ट, दालियावाडी शहर तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा अध्यक्ष प्रशांत पिता नरेन्द्र कुमार मशरूवाला, निवासी दालियावाडी, तहसील व जिला बुरहानपुर द्वारा एक आवेदन पत्र पेश कर श्री एकनाथ विठठल मंदिर ट्रस्ट दालियावाडी का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा 4 के अंतर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिए "लोक न्यास" के रूप में पंजीकृत किए जाने के लिए आवेदन किया. एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पत्र दिनांक 5 अगस्त 2024 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया गया है.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या संपत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और उपरोक्त अवधि में मेरे समक्ष या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार में नहीं लिया जावेगा :-

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता संपत्ति का विवरण)

1. नाम श्री एकनाथ विठठल मंदिर ट्रस्ट, दालियावाडी, शहर तहसील व जिला बुरहानपुर एवं अध्यक्ष प्रशांत पिता नरेन्द्र कुमार मशरूवाला, निवासी दालियावाडी, तहसील व जिला बुरहानपुर (म.प्र.).
2. चल संपत्ति -
3. अचल संपत्ति -

जारी दिनांक 5 अगस्त 2024

पल्लवी पुराणिक, पंजीयक.

(G-1912)

कार्यालय, लोक न्यास, पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जतारा, जिला टीकमगढ़, मध्यप्रदेश
प्र.क्र. 0001-बी-113(1)-2024-25. जतारा, दिनांक 23 अगस्त 2024

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा की उपधारा (2) और
मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम 5(1) के अंतर्गत]

लोक न्यास पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी उपखण्ड जतारा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश के समक्ष.

क्र.-रीडर-1-एस.डी.ओ.-2024-16.-यह कि सचिव बृजमोहन पस्तोर श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर लिधौरा, तहसील-लिधौरा, जिला- टीकमगढ़ मध्यप्रदेश ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा 4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने हेतु आवेदन किया है, एतद्वारा सूचना- पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर 24 सितम्बर 2024 को 2:00 बजे तक कार्यालयीन दिवस पर मेरे न्यायलय में विचार में लिया जायेगा.

अतः एतद्वारा सूचना दी जाती है कि किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त अपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जाएगा :-

1. लोक न्यास का नाम व पता : श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर लिधौरा, तहसील लिधौरा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश.

2. सम्पत्ति का विवरण:-

श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर लिधौरा, जिला टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की अचल संपत्ति की अनुसूची

| क्र. | स्थिति कृषि भूमि | भूस्वामी | खसरा नम्बर | कुल रकवा (हेक्टेयर में) | रिमार्क |
|------|------------------|--|--|----------------------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | लिधौरा खास | श्री श्री 1008 श्री गुफा के हनुमान जी महाराज विराजमान बड़ा मंदिर लिधौरा. | 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200 | 4.055 | - |
| 2. | लिधौरा खास | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 1370, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1379, 1380. | 3.869 | - |
| 3. | सुनरई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 627, 631, 632, 638, 639, 640, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 663 | 4.914 | - |
| 4. | पहाड़ी बुजुर्ग | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी महाराज बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 854, 855, 858, 861, 862/1, 862/2, 863, 866, 924, 926 | 1.958 | - |
| 5. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 507, 1313 | 0.0160 | 1/8 हिस्सा |
| 6. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 179, 188, 190, 501, 505, 875, 877, 1097, 1099, 1102, 1105, 1107, 1179, 1188, 1189, 1190, 1280. | 4.983 | - |

| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
|-----|---------------------------|--|---|--------|---------------|
| 7. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जू बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 296, 300, 306 | 0.1630 | 1/8 हिस्सा |
| 8. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 312, 1317 | 0.1780 | 1/4 हिस्सा |
| 9. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 1095 | 0.0610 | 1/2 हिस्सा |
| 10. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जू बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 1100, 1101, 1106 | 0.1750 | 1/2 हिस्सा |
| 11. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 1181 | 0.0400 | 1/8 हिस्सा |
| 12. | वावई | श्री ठाकुर लक्ष्मण जी बड़ा मंदिर, लिधौरा. | 1308, 1314, 1320 | 0.3960 | 1/2 हिस्सा |
| 13. | लिधौरा | श्री महंत दामोदरदास चेला बालकदास. | 291, 1124, 1125, 1127, 1128, 1129, 1131, 1132, 1458, 1459, 1460, 1461, 1464, 462/3156, 1126/3177, 1126/3178 | 2.093 | |
| 14. | वावई | श्री महंत बालकदास चेला महंत, मनीरामदास. | 189 | 0.5550 | |
| 15. | बोड़ा (तह. मऊरानीपुर) | मंदिर श्री महाराज लक्ष्मण जी | 600 | 2.0550 | |

चल सम्पत्ति

श्री ठाकुर लक्ष्मण जू लोक न्यास बड़ा मंदिर तिधौरा जिला-टीकमगढ़ मध्यप्रदेश की चल सम्पत्ति की अनुसूची

| क्र. (1) | चल सम्पत्ति का विवरण (2) | तादाद (3) |
|-------------|--|--------------|
| 1. | शेषशाही भगवान की मूर्ति बड़े स्वरूप में | 01 |
| 2. | शेषशाही भगवान की मूर्ति छोटे स्वरूप में | 02 |
| 3. | रामजी एवं सीता जी की बड़ी मूर्ति | 02 |
| 4. | राम लक्ष्मण सीता तीन का सैट मीडियम | 03 |
| 5. | श्रीकृष्ण भगवान की मूर्ति | 01 |
| 6. | लड्डू गोपाल की बड़ी मूर्ति | 01 |
| 7. | लड्डू गोपाल की छोटी मूर्ति | 05 |
| 8. | देवी जी प्रतिमा पीतल की शेर पर विराजमान मूर्ति | 01 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|---|-----|
| 9. | श्री हनुमान जी पर्वतधारण किये हुए मूर्ति | 02 |
| 10. | पीतल का सिंहासन मय क्षत्र के | 01 |
| 11. | सिंहासन में लक्ष्मी, विष्णु, गणेश छोटी मूर्तियां | 03 |
| 12. | सिंहासन में हनुमान प्रतिमा छोटी मूर्तियां | 02 |
| 13. | हाथ जोड़े हुए श्री हनुमान जी मूर्ति | 01 |
| 14. | पंचमुखी हनुमान जी की एक छोटी मूर्ति | 01 |
| 15. | पीतल का राम दरवार मूर्ति विग्रह | 01 |
| 16. | श्री विष्णु लक्ष्मी चाँदी के पत्र पर छोटी सिक्का नुमा | 01 |
| 17. | श्री हनुमान जी गौलाकार पीतल के पत्र पर | 01 |
| 18. | श्री हनुमान जी पीतल के चौकोर पत्र पर | 01 |
| 19. | श्री हनुमान जी की मूर्ति पीतल छोटी अष्ट कमल दल पर | 01 |
| 20. | श्री शालिगराम शिला स्वरूप बड़े विग्रह | 09 |
| 21. | श्री शालिगराम शिला स्वरूप छोटे विग्रह | 44 |
| 22. | श्री गरुड जी बड़े स्वरूप में | 02 |
| 23. | श्री गरुड जी छोटे स्वरूप में | 01 |
| 24. | श्री श्रंगी अभिषेक करने वाली पीतल की | 01 |
| 25. | घनुष पीतल के | 05 |
| 26. | कलश पीतल का | 01 |
| 27. | अर्गापात्र पीतल का | 01 |
| 28. | श्री अर्गाआसन पीतल का | 01 |
| 29. | ताँबे का पात्र श्री ठाकुरजी के स्नान हेतु | 01 |
| 30. | ताँबे की प्लेटे छोटी | 02 |
| 31. | पीतल की कसेंड़ी छोटी | 01 |
| 32. | चाँदी का छत्र | 01 |
| 33. | गिलास तोडा का | 01 |
| 34. | आरती पीतल की पंचवत्ती | 01 |
| 35. | अखण्ड ज्योति पीतल की बड़ी | 01 |
| 36. | लोटा कसकूट का छोटा | 01 |
| 37. | पात्र चरणामृत मय चौकी के | 01 |
| 38. | पलंग सिंहासननुमा लकड़ी का | 01 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|--|-----|
| 39. | बक्सा चददर का छोटा | 01 |
| 40. | ताँबे का लोटा | 01 |
| 41. | झालर पीतल की बड़ी तीन छोटी एक कुल | 04 |
| 42. | शंख | 01 |
| 43. | शंख अर्गा छोटा | 01 |
| 44. | इलैक्ट्रिक बाद्ययंत्र मशीन (नगाड़ा) | 01 |
| 45. | ढाल | 03 |
| 46. | तलवार | 01 |
| 47. | हनुमान जी के पास पीतल का घण्टा | 01 |
| 48. | हनुमान प्रतिमा (पाषाण की) | 01 |
| 49. | शिवलिंग शिला मय जरायू | 01 |
| 50. | दान पात्र स्टील का | 01 |
| 51. | श्री राधा की मूर्ति पीतल की | 01 |
| 52. | श्री नागेश्वर महादेव शिवलिंग 01 शिवपरिवार गणेश कार्तिकेय माँ पार्वती | 01 |
| 53. | श्री परशुराम भगवान की मूर्ति | 01 |
| 54. | हनुमान जी की मुर्ति | 01 |
| 55. | पीतल की नाद बड़ी | 01 |
| 56. | पीतल की नाद छोटी | 01 |
| 57. | पीतल नौबद | 01 |
| 58. | पीतल का भगोना बड़ा | 01 |
| 59. | मटकिया पीतल की बड़ी | 01 |
| 60. | पीतल मटकिया छोटी | 01 |
| 61. | पीतल का हजार | 01 |
| 62. | पीतल की कसेडियां | 01 |
| 63. | कसकूट लोटा छोटा | 01 |
| 64. | पीतल बाल्टी बड़ी | 01 |
| 65. | पीतल पतेली छोटी | 02 |
| 66. | तसला गौलदानपात्र | 01 |
| 67. | कासे की बड़ी थाली | 02 |
| 68. | कासे की थाली छोटी | 05 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-------------------------------|-----|
| 69. | पीतल का कुपरा | 01 |
| 70. | पीतल की परात बड़ी | 01 |
| 71. | टब नये एल्युमिनियम के बड़े | 04 |
| 72. | टब पुराने एल्युमिनियम | 02 |
| 73. | पतेली एल्युमिनियम की छोटी | 04 |
| 74. | गैस भट्टी | 02 |
| 75. | गैस सिलेण्डर इण्डेन | 02 |
| 76. | गैस चूल्हा | 02 |
| 77. | बाल्टी स्टील | 08 |
| 78. | कड़ाई लोहे की | 01 |
| 79. | गैस बत्ती छोटे सिलेण्डर | 03 |
| 80. | गिलास स्टील बड़े | 30 |
| 81. | स्टील गिलास छोटे | 50 |
| 82. | स्टील थाली खाने वाली | 150 |
| 83. | स्टील कटोरा | 60 |
| 84. | स्टील जग | 02 |
| 85. | कटोरा कासे के | 05 |
| 86. | स्टील पतेली | 02 |
| 87. | स्टील का डिब्बा | 03 |
| 88. | स्टील की टंकी बड़ी | 01 |
| 89. | स्टील की परांत | 02 |
| 90. | कुकर मझौला | 02 |
| 91. | इंडेक्शन चूल्हा | 01 |
| 92. | नगाड़े | 02 |
| 93. | रथयात्रा की सामग्री लकड़ी सैट | 01 |
| 94. | लकड़ी का सिंहासन | 01 |
| 95. | पालकी ठाकुर जी की | 01 |
| 96. | पीनस लकड़ी का (अच्छी) | 01 |
| 97. | हारमोनियम | 01 |
| 98. | कनातें | 04 |

| (1) | (2) | (3) |
|------|---|-----|
| 99. | कूलर चद्दर का बड़ा | 01 |
| 100. | कूलर चद्दर का मझोला | 01 |
| 101. | कूलर छोटे | 02 |
| 102. | कूलर फाईवर का छोटा | 01 |
| 103. | एयर कंडीशन (ए.सी.हिटाची 2.5 टन का चालू) | 01 |
| 104. | सीलिंग फैन चालू | 17 |
| 105. | तख्त चौकी लकड़ी के बड़े | 10 |
| 106. | कुर्सी फाईवर की | 04 |
| 107. | पीतल के हडा बड़े | 02 |
| 108. | तिजोरी लोहे की पुरानी | 01 |
| 109. | अलमारी गोदरेज | 01 |
| 110. | सोफा लकड़ी का सेट | 01 |
| 111. | आराम सोफा कुर्सी | 01 |
| 112. | बैंड पलंग सिंगल | 02 |
| 113. | रेक स्टैण्ड लोहे का | 01 |
| 114. | फ्रिज रेफ्रीजरेटर | 01 |
| 115. | मिक्सी फाईवर | 01 |
| 116. | स्टैण्ड फैन लोहा | 01 |
| 117. | टेबिल फेन | 02 |
| 118. | दीवाल पंखा | 01 |
| 119. | बक्सा चद्दर के बड़े | 02 |
| 120. | दीवाल घड़ी | 02 |
| 121. | एयर कंडीशनर नये | 02 |
| 122. | गीजर | 03 |

चल सम्पत्ति

श्री ठाकुर लक्ष्मण जू बड़ा मंदिर लिधौरा से सबद्ध पहाड़ी बुजुर्ग स्थित राम जानकी मंदिर की चल सम्पत्ति की अनुसूची

| क्र. | चल सम्पत्ति का विवरण | तादाद |
|------|--------------------------|-------|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | श्री रामदरबार की मूर्ति | 03 |
| 2. | श्री राधाकृष्ण की मूर्ति | 02 |
| 3. | श्री हनुमान जी की मूर्ति | 01 |
| 4. | श्री शालिकराम शिला | 03 |

| (1) | (2) | (3) |
|-----|-------------------|-----|
| 5. | श्री गरुड जी पीतल | 01 |
| 6. | आचमनी पीतल की | 01 |
| 7. | कासे की थाली | 01 |
| 8. | ताबे का लोटा | 01 |
| 9. | पीतल की नाद | 01 |
| 10. | पीतल का कलश | 01 |
| 11. | लोटा | 02 |
| 12. | थाली | 04 |
| 13. | गिलास | 10 |
| 14. | गैस सिलेण्डर | 01 |
| 15. | गैस चुल्हा | 01 |
| 16. | भोजन बर्तन | 12 |
| 17. | शंख | 01 |
| 18. | झालर | 01 |

(G-1913)

शैलेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहकारी निरीक्षक, खरगोन एवं परिसमापक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश

खरगोन, दिनांक 1 अगस्त 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57(सी) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-क्यु.-उप-पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला खरगोन द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाओं के सम्मुख अंकित आदेश से परिसमापन में लाया जाकर धारा-70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

| क्र. | संस्था का नाम | परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक | पंजीयन क्रमांक व दिनांक | विकासखण्ड | परिसमापक का नाम |
|------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सुरपाला. | 708/19-7-2021 | 1340/28-6-2003 | बडवाह | मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि. बडवाह |
| 2. | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भोगवानिपानी, तह. सनावद. | 708/19-7-2021 | 1311/15-1-2002 | बडवाह | मनोहर वास्कले, सह. वि. अधि. बडवाह |
| 3. | श्री लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., भीकनगांव, तह. भीकनगांव. | 1260/22-2-2023 | 1829/10-3-2014 | भीकनगांव | मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक, खरगोन |

अतः, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत मैं, मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक, खरगोन एवं परिसमापक उक्त सहकारी संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से दो माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो मुझे लिखित में प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे, यदि 02 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) एवं आपत्तियाँ मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती है, तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण पंजीयन कक्ष से प्राप्त दस्तावेज एवं गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 1 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1914)

मनोहर वास्कले, सहकारी निरीक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश

नर्मदापुरम, दिनांक 31 जुलाई 2024

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1476.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-76, होशंगाबाद, दिनांक 14 जनवरी 2020 के द्वारा परिसमापित माँ वैष्णो प्रा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2763, दिनांक 1 जून 2002 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 76, दिनांक 14 जनवरी 2020 के तहत शिवशंकर पगारे को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है. इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी, नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्टार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित माँ वैष्णो प्रा. महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, राईखेडी, पंजीयन क्रमांक 2763, दिनांक 1 जून 2002 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(G-1915)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1477.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2014-703, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च 2014 के द्वारा परिसमापित श्री बाबा साई बीज एवं पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, रोहना, पंजीयन क्रमांक 2731, दिनांक 10 अप्रैल 2001 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 705, दिनांक 29 मार्च 2014 के तहत श्री डी. पी. पाल को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 13 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित श्री बाबा साई बीज एवं पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, रोहना, पंजीयन क्रमांक 2731, दिनांक 10 अप्रैल 2001 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1916)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1478.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2010-450, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, खामदा, संपरिवर्तन क्रमांक 3312, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 75, दिनांक 14 जनवरी 2022 के तहत श्रीमती कंचन सोनी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 9 जुलाई 2014 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित प्रगति साख सहकारी समिति मर्यादित, खामदा, संपरिवर्तन क्रमांक 3312, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1917)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1479.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-412, होशंगाबाद, दिनांक 22 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित जय माँ कालिका साख सहकारी समिति मर्यादित, निटाया, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3340, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 1064, दिनांक 10 सितम्बर 2013 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्टार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित जय माँ कालिका साख सहकारी समिति मर्यादित, निटाया, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3340, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1918)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1480.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2016-442, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित राजीव गांधी साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3305, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 989, दिनांक 30 मई 2016 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 16 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्टार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की है, का प्रयोग करते हुए परिसमापित राजीव गांधी साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3305, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1919)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1481.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-438, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित माँ शारदा साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3285, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 989, दिनांक 30 मई 2016 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 25 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की हैं, का प्रयोग करते हुए परिसमापित माँ शारदा साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3285, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1920)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1482.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2013-437, होशंगाबाद, दिनांक 26 अप्रैल 2010 के द्वारा परिसमापित गुरु गोविन्द सिंह साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3283, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 989, दिनांक 30 मई 2016 के तहत विनीता चौधरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 14 जून 2024 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की हैं, का प्रयोग करते हुए परिसमापित गुरु गोविन्द सिंह साख सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, संपरिवर्तन पंजीयन क्रमांक 3283, दिनांक 29 अक्टूबर 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 31 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1921)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अन्तर्गत]

क्र.-परि.-2024-1483.-इस कार्यालय के आदेश क्रमांक-परिसमापन-2010-337, होशंगाबाद, दिनांक 7 मार्च 2015 के द्वारा परिसमापित बालाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, क्रमांक 3075, दिनांक 17 मई 2012 (जिसे आगे सिर्फ संस्था कहा गया है) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अन्तर्गत संशोधित आदेश क्रमांक 77, दिनांक 14 जनवरी 2022 के तहत श्रीमती कंचन सोनी को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अपने अभिमत सहित अंतिम प्रतिवेदन दिनांक 9 जुलाई 2014 को प्रस्तुत किया गया है। संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की देनदारी का निपटारा हो जाने से संस्था की बैलेंस शीट निरंक हो गई है तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं रह गया है। इसलिए संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतएव, मैं, शिवम मिश्रा, उप पंजीयक, सहकारी सोसायटी नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 18(1) के अंतर्गत रजिस्ट्रार की प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझे मध्यप्रदेश शासन की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-199-पन्द्रह-1सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई 1999 द्वारा प्रदत्त की हैं, का प्रयोग करते हुए परिसमापित बालाजी ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्यादित, इटारसी, क्रमांक 3075, दिनांक 17 मई 2012 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 29 जुलाई, 2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(G-1922)

शिवम मिश्रा, उप पंजीयक.

कार्यालय, परिसमापक, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, हरदा, मध्यप्रदेश
हरदा, दिनांक 22 जुलाई 2024

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 70 के तहत)

यह कि मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, हरदा, जिसका पंजीयन क्रमांक 2629, दिनांक 4 जुलाई 1996 है, को कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, नर्मदापुरम, संभाग नर्मदापुरम द्वारा आदेश क्रमांक-विधि-परि.-2023-457, दिनांक 20 अप्रैल 2023 द्वारा सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा 69(2) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग द्वारा प्रदत्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, की शक्तियों का उपयोग करते हुए सुधीर मोने, उप अंकेक्षक, कार्यालय, सहायक आयुक्त, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा को परिसमापक नियुक्त किया गया है।

अतः, मैं, सुधीर मोने, उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला हरदा एवं परिसमापक, मध्यप्रदेश विद्युत मण्डल कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्यादित, हरदा जिसका पंजीयन क्रमांक 2629, दिनांक 4 जुलाई 1996 से संबंधित समस्त संबंधितों को इस सूचना-पत्र के माध्यम से सूचित करता हूँ कि उक्त सूचना पत्रक जारी करने की दिनांक 18 अप्रैल 2024 से 02 माह की समयावधि के भीतर यदि कोई दावा/आपत्ति अथवा कोई अभिलेख अथवा संस्था से संबंधित कोई जानकारी हो तो अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष मय दस्तावेजों/साक्ष्य सहित कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारिता, जिला हरदा में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। उक्त समयावधि व्यतीत होने के पश्चात् किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति मान्य/स्वीकार नहीं किए जावेंगे। प्राप्त दावा आपत्तियों का नियमानुसार निराकरण किया जावेगा।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 18 अप्रैल 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया है।

(G-1923)

सुधीर मोने, उप अंकेक्षक एवं परिसमापक.

कार्यालय, उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र./ दिनांक | परिसमापन आदेश |
|------|---|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनादौन | 864 | 1603/8-8-2022 |
| 2 | जागृति मत्स्य सहकारी समिति मर्या., भरदा | 893 | 1651/8-8-2022 |
| 3 | साक्षी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या., सिहोरा | 1008 | 1063/8-8-2022 |
| 4 | अरण्य चिकित्सा वन परिक्षेत्र सहकारी समिति मर्या., धूमा | 973 | 1733/16-6-2022 |
| 5 | नवचेतना महिला बहुउद्देशीय अजा./अ.ज.जा./शक्तिपुंज सहकारी समिति मर्या., आमई | 987 | 1776/18-8-2022 |
| 6 | सेता सरस्वती तिक्कलांग सहकारी समिति मर्या., आमई | 989 | 1778/18-8-2022 |
| 7 | कामगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., धनककड़ी | 761 | 1794/18-8-2022 |
| 8 | प्रगतिशील यातायात सह.स. देवतामड | 847 | 847/5-4-2022 |
| 9 | कालभैरव बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आदेगांव | 1063 | 1633/8-8-2022 |
| 10 | गांझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., नागदहार | 880 | 1650/8-8-2022 |
| 11 | रानी दुर्गावती फोब्रेकेशन सहकारी समिति मर्या., धनककड़ी | 1141 | 1795/18-8-2022 |
| 12 | दुग्ध उत्पादक समिति, पुरवा | 434 | 265/6-2-2023 |
| 13 | दुग्ध उत्पादक समिति, प्रेमपुर भालीवाडा | 367 | 265/6-2-2023 |
| 14 | पवार धान कुटाई उद्योग सह स. मेहरापिपरिया | 131 | 430/31-3-2017 |
| 15 | किसान चावल दाल उद्योग सह. स., खुर्सीपार | 137 | 430/31-3-2017 |
| 16 | आदि नानल नाल उद्योग स.स., मोहगावनागन | 127 | 430/31-3-2017 |
| 17 | चावल दाल उद्योग सहकारी समिति सेजवाड़ा | 138 | 430/31-3-2017 |
| 18 | आदिवासी नछुआ सहकारी समिति मर्या. धूमा | 867 | 1652/8-8-2022 |
| 19 | किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिण्डरई | 1068 | 1620/8-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः, मैं, कमलेश मरावी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें। उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि, यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1924)

कमलेश मरावी, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू.-जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र./ दिनांक | परिसमापन आदेश |
|------|--|-----------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोटीया | 786 | 2132/17-12-2019 |
| 2 | आदर्श ग्राम तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिहोरा | 113 | 2132/17-12-2019 |
| 3 | पीतल पात्र उद्योग सहकारी समिति मर्या., आदेगांव | 19 | 2132/17-12-2019 |
| 4 | प्रयास श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 976 | 1736/16-8-2022 |
| 5 | आदर्श ग्राम तेल उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 207 | 430/31-3-2017 |
| 6 | तेल उद्योग सह. समिति मर्या., कुकलाह | 81 | 430/31-3-2017 |
| 7 | राजस्थानी महिला सह. समिति मर्या., सिवनी | 949 | 1716/16-8-2022 |
| 8 | डॉ. अम्बेडकर चर्म विकास सह. समिति मर्या., कान्हीवाडा | 779 | 2122/17-12-2019 |
| 9 | किसान बीज उत्पादक सह. समिति मर्या., सिवनी | 958 | 1607/8-8-2022 |
| 10 | नागरिक सहकारी साख समिति मर्या., सिवनी | 919 | 2836/18-11-2022 |
| 11 | विनायक स्टेशनर्स सह. समिति मर्या., सिवनी | 950 | 1717/16-8-2022 |
| 12 | उन्नत महिला बोरा बोरी क्रय विक्रय सह. समिति मर्या. सिवनी | 1047 | 1788/18-8-2022 |
| 13 | ओम नर्सरी सह. समिति मर्या., कोहका | 1049 | 1790/18-8-2022 |
| 14 | मानव सेवा सह. समिति मर्या., सिवनी | 1050 | 1790/18-8-2022 |
| 15 | गेस उपभोक्ता सह. समिति मर्या., सिवनी | 1053 | 1792/18-8-2022 |
| 16 | नव शक्ति सह. समिति मर्या., सिवनी | 979 | 1770/18-8-2022 |
| 17 | आजाद हिंद जनकल्याण सह. समिति मर्या., सिवनी | 978 | 1771/18-8-2022 |
| 18 | सहली गृह उद्योग नेटवर्क मार्क. सह. समिति मर्या., सिवनी | 984 | 1773/18-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं।

अतः, मैं, एम.के. बाझल, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि, यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1925)

मुकेश कुमार बाझल, परिसमापक एवं सह. निरी.

सिवनी, दिनांक 9 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र./ दिनांक | परिसमापन आदेश |
|------|--|-----------------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | हमारा दफ्तर हमारा घर सहकारी समिति मर्या., कले., सिवनी | 951 | 28-6-2023 |
| 2 | हमारा दफ्तर हमारा घर साख सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 8952 | 28-6-2023 |
| 3 | सर्वोदय खादी ग्राम उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 50 | |
| 4 | लक्ष्मी महिला शक्ति पुंज बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., बरेलीपार | 971 | 1731/16-8-2022 |
| 5 | बैशाली सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 942 | 28-6-2023 |
| 6 | मानव सेवा संवर्धन एवं समाज सांस्कृतिक शिक्षण अंतर्गत प्रशिक्षण व सत्संग सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 943 | 28-6-2023 |
| 7 | मोगली पेंच वर्कर सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 947 | 28-6-2023 |
| 8 | सित्वर क्लब सांस्कृतिक एवं मनोरंजन सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 948 | 28-6-2023 |
| 9 | आदर्श बेरोजगार श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., संगई | 985 | 1774/18-8-2022 |
| 10 | बेरोजगार दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., लूधरवाडा | 986 | 1775/18-8-2022 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|---|------|----------------|
| 11 | त्रिमूर्ति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., भैरोगंज | 988 | 1777/18-8-2022 |
| 12 | चर्मकार सहकारी समिति मर्या., सिवनी क्र. 2 | 803 | 266/6-2-2023 |
| 13 | नर्मदा निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 994 | 1780/18-8-2022 |
| 14 | संजीवनी सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 1001 | 1782/18-8-2022 |
| 15 | कम्प्यूटर ऐजुकेशन एवं डेव्हलेपमेंट सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 1006 | 1784/18-8-2022 |
| 16 | अनु. जाति/अ.ज.जा. श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., भैरोगंज | 1007 | 1785/18-8-2022 |
| 17 | यश महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 981 | 1766/18-8-2022 |
| 18 | आदर्श मिट्टी तेल हाकर्स एवं पर्यावरण सुधार सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 982 | 1776/18-8-2022 |
| 19 | श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 980 | 1776/18-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः, मैं, डी.के. डहेरिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में, कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि, यदि किसी के पास होना पाया जाता है, तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1926)

डी. के. डहेरिया, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24.- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70(1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र./ दिनांक | परिसमापन आदेश दिनांक |
|------|---|-----------------------|-------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पायलीखुर्द | 396 | 722/5-4-2022 |
| 2 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उगली | 247 | 722/5-4-2022 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|------|-----------------|
| 3 | अंकुर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पहाड़ी | 875 | 1605/8-8-2022 |
| 4 | बसुन्धरा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भालीवाड़ा | 1051 | 1608/8-8-2022 |
| 5 | किसान बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झुरकी | 1062 | 1614/8-8-2022 |
| 6 | बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गंगपुर | 1066 | 1618/8-8-2022 |
| 7 | बलराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्होडी | 1067 | 1619/8-8-2022 |
| 8 | माझी मछुआ सहकारी समिति मर्या., अतरिया | 860 | 1806/23-8-2022 |
| 9 | हरिजन मछुआ सहकारी समिति मर्या., दिवारी | 770 | 2194/31-10-2022 |
| 10 | मत्स्य सहकारी समिति मर्या., खिरखिरी | 350 | 1653/8-8-2022 |
| 11 | आदर्श बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैपुरा | 1077 | 1627/8-8-2022 |
| 12 | महालक्ष्मी लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घंसौर | 1032 | 1685/8-8-2022 |
| 13 | विकास महिला लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सिंगपुर | 1010 | 1665/8-8-2022 |
| 14 | प्रा.लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहरापिपरिया | 1041 | 1698/8-8-2022 |
| 15 | आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., बिछुआ | 381 | 1648/8-8-2022 |
| 16 | ग्रामोद्योग चर्म उद्योग सहकारी समिति मर्या., घंसौर | 684 | 722/5-4-2022 |
| 17 | उजाला सहकारी समिति मर्या., दिवारा | 990 | 1779/18-8-2022 |
| 18 | सहयोगी अ.जा. महिला श्रमिक कल्याण एवं निर्माण सहकारी समिति मर्या., नागाबाबा घंसौर | 1048 | 1789/18-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः, मैं, वाणी विलास शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी/ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समक्ष कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में, कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें, सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1927)

वाणी विलास शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

सिवनी, दिनांक 22 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक, सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र. | परिसमापन आदेश क्र. दिनांक |
|------|--|------------|---------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | नर्मदा बुनकर सहकारी समिति मर्या., धनवाही | 303 | 2132/17-12-2022 |
| 2 | भूमि बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिन्दुआ | 1080 | 1630/8-8-2022 |
| 3 | जिला स्टेशनर्स एवं वाइडिंग सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 108 | 1706/16-8-2022 |
| 4 | इंदिरा महिला औद्योगिक सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 612 | 1707/16-8-2022 |
| 5 | बस स्थापक परिवहन प्रबंधन सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 865 | 1708/16-8-2022 |
| 6 | म.प्र. सड़क परिवहन व्ही.आर.एस. कर्मचारी सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 863 | 1709/16-8-2022 |
| 7 | जगदम्बा समृद्धि विद्युत आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 873 | 1710/16-8-2022 |
| 8 | जनकल्याण सहकारी समिति मर्या., खापा | 944 | 1713/16-8-2022 |
| 9 | भारतमाता बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 349 | 715/4-4-2022 |
| 10 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दोंदीवाड़ा | 420 | 715/4-4-2022 |
| 11 | पीतल पात उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 54 | 715/4-4-2022 |
| 12 | आदिवासी हरिजन बिड़ी श्रमिक कामगार सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 334 | 715/4-4-2022 |
| 13 | बाल्मिकी रेशम उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 325 | 715/4-4-2022 |
| 14 | बंशकार बांस शिल्प उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 809 | 715/4-4-2022 |
| 15 | भीमगढ़ बांध विस्था. सहकारी समिति मर्या., सिमरिया | 726 | 722/5-4-2022 |
| 16 | भीमगढ़ बिरथा मछुआ सहकारी समिति मर्या., भीमगढ़ | 717 | 722/5-4-2022 |
| 17 | बैनगंगा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छपारा | 955 | 1606/8-8-2022 |
| 18 | महालक्ष्मी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दरबई | 1065 | 1617/8-8-2022 |
| 19. | महिला कामगार एवं श्रम टेका सहकारी समिति मर्या., छपारा | 977 | 1766/18-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः मैं, एन.डी. कटरे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे. तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएँ सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा।

यह सूचना आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(G-1928)

एन. डी. कटरे, परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

सिवनी, दिनांक 22 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू.- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र. | परिसमापन आदेश क्र. |
|------|---|------------|--------------------|
| (1) | (2) | (3) | दिनांक (4) |
| 1 | आनंद महिला लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खुर्सीपार | 1011 | 1666/8-8-2022 |
| 2 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेंचना | 1012 | 1667/8-8-2022 |
| 3 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिमनाखारी | 1035 | 1686/8-8-2022 |
| 4 | जनकल्याण प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव | 1040 | 1688/8-8-2022 |
| 5 | युगान्तर प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बुढ़ेनाखुर्द | 1045 | 1689/8-8-2022 |
| 6 | विकास प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मानेगांवखुर्द | 1042 | 1690/8-8-2022 |
| 7 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसलाकलॉ | 1043 | 1691/8-8-2022 |
| 8 | धनलक्ष्मी लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिंडरईखुर्द | 1039 | 1695/8-8-2022 |
| 9 | बिलवे सहकारी समिति मर्या., बरघाट | 957 | 1722/16-8-2022 |
| 10 | गोंडवाना दौंदी पहाड़ जनसेवा सहकारी समिति मर्या., मिर्चीटोल पाथरफोडी | 966 | 1727/16-8-2022 |
| 11 | आदिशक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेहराबोड़ी | 1087 | 1637/8-8-2022 |
| 12 | भक्ति बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दौंदीवाड़ा | 1088 | 1638/8-8-2022 |
| 13 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धपारा | 995 | 1656/8-8-2022 |
| 14 | आदर्श लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साल्हेखुर्द | 1000 | 1661/8-8-2022 |
| 15 | आदिवासी श्रमिक रेत एवं खनिज कामगार सह. समि. मर्या., टेटमा | 963 | 1772/18-8-2022 |
| 16 | महाबीर बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खामी | 1086 | 1636/8-8-2022 |
| 17 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुंडरई | 1037 | 1693/8-8-2022 |
| 18 | धनलक्ष्मी लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया रैयत | 1021 | 1669/8-8-2022 |
| 19. | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करकोटी | 1038 | 1697/8-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः, मैं एस.डी. तंतुवाय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद् द्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे. तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1929)

एस.डी. तंतुवाय, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र. | परिसमापन आदेश क्र. दिनांक |
|------|---|------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | अगरबत्ती काड़ी कामगार सहकारी समिति मर्या., खारी | 328 | 715/4-4-2022 |
| 2 | लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नाचनवाही | 1009 | 1664/8-8-2022 |
| 3 | लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरवैली | 1013 | 1668/8-8-2022 |
| 4 | लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोरखपुर | 1014 | 1669/8-8-2022 |
| 5 | श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खेरापलारी | 1055 | 1610/8-8-2022 |
| 6 | लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खापापांजरा | 1023 | 1674/8-8-2022 |
| 7 | प्रज्ञा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिडियापालारी | 1059 | 1612/8-8-2022 |
| 8 | सर्वोदय बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बिठली | 1061 | 1613/8-8-2022 |
| 9 | गुरुनानक बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बखारी | 1081 | 1631/6-8-2022 |
| 10 | दिव्या बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., छिंदग्वार | 1085 | 1635/6-8-2022 |
| 11 | ओम साई राम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लूधरवाड़ा | 1091 | 1641/8-8-2022 |
| 12 | अन्नपूर्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खामखरेली | 1093 | 1642/8-8-2022 |
| 13 | देवी अनुपा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बन्डोल | 1095 | 1643/8-8-2022 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|------|----------------|
| 14 | आदर्श वन लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुकलाह | 1019 | 1677/8-8-2022 |
| 15 | न्यू महावीर व्यामशाला सहकारी समिति मर्या., बल्लारपूर | 960 | 1725/16-8-2022 |
| 16 | वेनगंगा श्रमिक ठेका सहकारी समिति मर्या., छपारा | 1000 | 1781/18-8-2022 |
| 17 | अनु. जाति श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., छपारा | 1005 | 1783/18-8-2022 |
| 18 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चुरनाटोला | 1031 | 1682/8-8-2022 |
| 19. | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., उड़ेपानी | 1044 | 1692/8-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः मैं, दीप मयंक करपाची, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे. तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति/सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहाकारिता सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1930)

दीप मयंक करपाची, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

सिवनी, दिनांक 22 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला-सिवनी के आदेश के अंतर्गत म.प्र. सहकारी समितियाँ अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र. | परिसमापन आदेश क्र. दिनांक |
|------|---|------------|------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | इदिरा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., डूँडासिवनी | 16 | 722/5-4-2022 |
| 2 | प्रगतिशील गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 594 | 722/5-4-2022 |
| 3 | नीलसागर गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 476 | 722/5-4-2022 |
| 4 | महालक्ष्मी गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 705 | 722/5-4-2022 |
| 5 | मंगलीपेठ बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 89 | 722/5-4-2022 |

| (1) | (2) | (3) | (4) |
|-----|--|------|-----------------|
| 6 | जिला थोक उपभोक्ता भंडार मर्या., सिवनी | 336 | 722/5-4-2022 |
| 7 | दूर संचार कर्मचारी सहकारी साख समिति मर्या., सिवनी | 771 | 722/5-4-2022 |
| 8 | आदर्श श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 616 | 722/5-4-2022 |
| 9 | पारसमणी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., सिवनी | 730 | 1645/8-8-2022 |
| 10 | गुरुनानक महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 656 | 1646/8-8-2022 |
| 11 | तिलक महिला प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भंडार मर्या., सिवनी | 844 | 1647/8-8-2022 |
| 12 | हाथकरघा बुनकर उद्योग सिलाई प्रशिक्षण सह.सह.मर्या., सिवनी | 969 | 1649/8-8-2022 |
| 13 | जिला सिवनी लाख उत्पादन सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 1018 | 1699/8-8-2022 |
| 14 | दलित उत्थान सिविल सप्लायर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 968 | 1729/16-8-2022 |
| 15 | सम्यक जनस्वास्थ्य कल्याण सांस्कृतिक एवं पर्यावरण संरक्षण संबन्धन सहयोग सहभागिता सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 970 | 1730/16-8-2022 |
| 16 | दलित श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 972 | 1732/16-8-2022 |
| 17 | सतपुड़ा जैविक खाद उत्पादन सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 975 | 1735/16-8-2022 |
| 18 | शक्ति चलित बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी | 279 | 2133/17-12-2019 |
| 19 | कुम्हार उद्योग सहकारी समिति मर्या., भौमा | 130 | 2132/17-12-2019 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः, मैं, श्रीमती शिवानी ताराम, परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय उपायुक्त सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे. तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी-व्यक्ति सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 22 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1931)

शिवानी ताराम, परिसमापक एवं वरि.सह.निरी.

सिवनी, दिनांक 8 अगस्त 2024

[नियम 57(ग) के तहत दावें एवं आपत्तियों की सूचना का प्रारूप]

क्र.-सह-परि-24-क्यू- जिला सिवनी की निम्नलिखित सहकारी समितियाँ जिसे उप-पंजीयक सहकारी समितियाँ, जिला सिवनी के आदेश के अंतर्गत मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70-1 के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है :-

| क्र. | परिसमापनाधीन संस्था का नाम | पंजी. क्र./ दिनांक | परिसमापन आदेश |
|------|--|-----------------------|---------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1 | आदिवासी बुनकर सहकारी समिति मर्या., दोदीवाडा | 353 | 722/5-4-2022 |
| 2 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपानी | 806 | 722/5-4-2022 |
| 3 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खमरिया | 785 | 722/5-4-2022 |
| 4 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुआर | 833 | 722/5-4-2022 |
| 5 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिकारी | 306 | 722/5-4-2022 |
| 6 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., साल्हेखुर्द | 431 | 722/5-4-2022 |
| 7 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., प्रेमपुर अमूलरा | 688 | 722/5-4-2022 |
| 8 | दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., विजयपानी | 832 | 722/5-4-2022 |
| 9 | महात्मा फुले साख सब्जी फल उत्पा. बरघाट | 766 | 722/5-4-2022 |
| 10 | आदि. कांगोराजा खनिज उद्योग सह. समिति मर्या., गुरजई | 791 | 722/5-4-2022 |
| 11 | किसान बीज उत्पादक सहकारी मर्या., बोरीकलां | 1070 | 1622/8-8-2022 |
| 12 | नवीन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोसमी | 1071 | 1623/8-8-2022 |
| 13 | नर्मदा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुल्हापुर | 1074 | 1625/8-8-2022 |
| 14 | आदर्श बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जनमखारी | 1082 | 1632/8-8-2022 |
| 15 | ओम साई बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., केसला | 1089 | 1669/8-8-2022 |
| 16 | जागृति लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जेवनारा | 992 | 1654/8-8-2022 |
| 17 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जनमखारी | 993 | 1655/8-8-2022 |
| 18 | प्राथ. लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खूंटपिपरिया | 996 | 1657/8-8-2022 |
| 19 | ग्राम विकास लाख उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहगांव | 999 | 1659/8-8-2022 |

उक्त परिसमापित समितियों के अभिलेख मुझे प्रभार में प्राप्त नहीं हुये हैं.

अतः, मैं, आकाश अहके, परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम (नियम) 1962 के नियम 57(सी-ग) के अंतर्गत उक्त सहकारी समितियों के समस्त सदस्यों/दावेदारों एवं लेनदारों को एतद्वारा सूचित करता हूँ कि उनकी जो लेनदारी एवं देनदारी शेष हो, दावे लिखित में एवं मय प्रमाण के इस सूचना के प्रकाशन से दो माह के भीतर मेरे समझ कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस में व मेरे प्रवास की स्थिति में कार्यालय, उपायुक्त, सहकारिता के माध्यम से प्रस्तुत किया जावे. प्रकाशन की सूचना जारी दिनांक से 60 दिन की अवधि समाप्त होने के पश्चात् कोई भी दावे मान्य नहीं होंगे तथा समिति का पंजीयन निरस्त करने बाबद अंतिम प्रतिवेदन उप पंजीयक, सहकारी संस्थायें सिवनी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त सभी सहकारी संस्थाओं से संबंधित कोई भी प्रभार अभिलेख एवं जखीरा स्टॉक किसी व्यक्ति-सदस्य के पास हों तो वह भी मुझे कार्यालय, उपायुक्त सहकारिता, सिवनी में कार्यालयीन दिवस व समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें उक्त अवधि के पश्चात् उपरोक्त सहकारी समितियों का प्रभार, अभिलेख, जखीरा स्टॉक आदि यदि किसी के पास होना पाया जाता है तो उसके विरुद्ध की जाने वाली कानूनी कार्यवाही के परिणामों हेतु वह व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होगा.

यह सूचना आज दिनांक 8 अगस्त 2024 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

(G-1932)

आकाश अहके, परिसमापक एवं उप अंकेक्षक.

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 36]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 सितम्बर 2024—भाद्र 15, शक 1946

भाग 3 (2)

सांख्यिकी सूचनाएं

(कुछ नहीं)